

दिल्ली विधान सभा सचिवालय
समाचार भाग-2
(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)
सोमवार, 15 मार्च, 2004/फाल्गुन 25, 1925 (शक)

संख्या - 24

सदस्य की नजरबन्दी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को संबोधित अति.पुलिस उपायुक्त, दक्षिण जिला से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है :-

“मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य श्री तरविन्दर सिंह मारवाह को पुलिस थाना लाजपत नगर में दिनांक 13.3.2004 को पूर्वाह्न 11.45 बजे एफ.आई.आर. नंबर-168/04 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 186/353/332/34 के मामले में गिरफ्तार किया गया और उन्हें उसी समय जमानत पर रिहा कर दिया गया।”

सिद्धार्थ राव
सचिव

**DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY
BULLETIN PART – II**

(General information relating to Legislative & other matters)
Monday, 15th March, 2004 / Phalguna 25, 1925 (Saka)

No. 24.

DETENTION AND RELEASE OF MEMBER

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from the Additional Commissioner of Police (South District, New Delhi.):

“ I have the honour to inform you that Shri Tarvinder Singh Marwah, Hon'ble Member of Delhi Vidhan Sabha, Delhi was arrested in case FIR No U/S 186/353/332/34 IPC PS Lajpat Nagar at 11.45 AM on 13.03.2004 and was released on bail at the same moment.”

**SIDDHARATH RAO
SECRETARY**